अनुसूची 21- फारम सं० 113

21.9.17

8822

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

8650

20-9-17

प्रमाण पत्र संख्या..... 19..... आवेदन सं०.....

चूँकि श्री..... राजन कुमार राय

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्धारित संव्यवहारों और अवभारों का सविवरण प्रमाण पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को समाप्त करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2005 से ता० 10 till date तक तलाशी ली गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला.....

चला है अतः..... विक्रय

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मौजा जाफेयर 34	तीन 5065	रजिस्ट्री 8,19,35 47,8 52	चार 380,385 387,388 389,390 391,396			A 99.572 Dem	

N- Bijay Kumar Ambwa
S- Legal heir of Late Sukumar
E- Rasta
W- Kalut Rai & Ors

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।
2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते को उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Radha

(पदनाम): H.D.A Asst

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Chandra

(पदनाम):

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 21-9-2017

अवर निबंधन कार्यालय दानापुर पटना

21-9-17

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:-इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति (व्यक्तियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रतिलिपि देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हें विशिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों को छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक दानापुर

ज्ञाप संख्या 4170 दिनांक 21-9-17

आवेदक श्री [illegible]

का ऋणभार प्रमाण-पत्र [illegible]

का उनके पत्र संख्या दिनांक के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,
दानापुर
21-9-17

SPL-469/99-2,00,000